न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी— मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा— राजस्व वाद/31/2020

1. प्रहलाद पुत्र केशरमल उम्र 47 वर्ष
2. रघुनाथ पुत्र केशरमल उम्र 45 वर्ष
3. बलदेव पुत्र केशरमल उम्र 42 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद जिला सीकर

—वादीगण

ब नाम

1. केशरमल पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद जिला सीकर
2. तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अ. धा. 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति—

1. श्री गणपत लाल, वकील वादीगण की ओर से
2. श्री महेन्द्र जाखड़, वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

–निर्णय–

दिनांक— 04.03.2021

01\. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक संयुक्त कब्जे, काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 431 रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा सं. 446 रकबा 2.22 हेक्टेयर, खसरा सं. 460 रकबा 1.35 हेक्टेयर, खसरा सं. 461 रकबा 1.77 हेक्टेयर, खसरा सं. 484 रकबा 2.44 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 9.08 हेक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 62, 70 वाके ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है, जिसमें 3/4 हक हिस्सा वादीगण व 1/4 हक प्रतिवादी सं. 1 का है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के है, जिनकी वंशावली निम्नानुसार है—

हणमान (मृत)

↓

केशरमल

↓ ↓ ↓

प्रहलाद रघुनाथ बलदेव

उक्त आराजियात पैतृक भूमि रही है, जो कि पूर्व में वादी के दादा स्व. हणमान के नाम रही है। हणमान की मृत्यु होने के बाद वादग्रस्त भूमि का खाता उनके पुत्र केशरमल के नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के जीवनकाल में ही उनके पुत्रों व पुत्रियों का पिता के समान ही हक, अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए पैतृक कृषि भूमि होने से वादीगण अपने पिता के जीवन काल में ही अपने नाम वादग्रस्त भूमियों में से 3/4 हक भाग की खातेदारी उद्घोषित करवाने के अधिकारी है। दिनांक 27.02.2020 को प्रतिवादी सं. 1 अपने साथ 2–3 अजनबी भूमाफिया लोगो को साथ लेकर वादग्रस्त भूमियों पर आकर उक्त भूमि का सौदा करने व वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने से वादकारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी सं. 2 को भूधारक के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद न्यायालय में प्रस्तुत है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जाकर वाके कृषि भूमि खसरा सं. 431 रकबा 1.

उपखण्ड अधिकारी

धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.08 16:37:09 IST
Reason: SelfAttested

30 हेक्टेयर, खसरा सं. 446 रकबा 2.22 हेक्टेयर, खसरा सं. 460 रकबा 1.35 हेक्टेयर, खसरा सं. 461 रकबा 1.77 हेक्टेयर, खसरा सं. 484 रकबा 2.44 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 9.08 हेक्टेयर वाके ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद जिला सीकर में वादीगण प्रत्येक को 1/4 – 1/4 अर्थात् कुल भाग का 3/4 भाग का तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 भाग का काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के हिस्से में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी करने से बाज रहें।

02. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री महेन्द्र जाखड़, एड. ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से आज दिनांक 04.03.2021 को राजीनामा पेश किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित उभयपक्ष अभिभाषकगण ने मुताबिक राजीनामा वाद को अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

03. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पैतृक है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का बराबर–बराबर हिस्सा 1/4 है। अतः मुताबिक राजीनामा के वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जावे।

उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम पुराछोटी पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 36 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त खाता में वादीगण के पिता केशरमल (प्रतिवादी सं. 1) का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जो कि पैतृक आराजी है। वादीगण सं. 1 ता 3 प्रतिवादी सं. 1 की जायंदा पुत्रगण है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं वादीगण व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि वादीगण केशरमल की जायन्दा संतानें है। अतः वादीगण अपने पिता की भूमि में से अपने हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा कराने का अधिकारी है। अतः उपर्युक्त विवरण एवं प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादीगण का डिक्री किया जाता है कि ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 431 रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा सं. 446 रकबा 2.22 हेक्टेयर, खसरा सं. 460 रकबा 1.35 हेक्टेयर, खसरा सं. 461 रकबा 1.77 हेक्टेयर, खसरा सं. 484 रकबा 2.44 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 9.08 हेक्टेयर का वादीगण सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 – 1/4 हिस्से का प्रत्येक को संयुक्त खातेदारी में बराबर–बराबर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। रहन यदि है तो यथावत रहेगा। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय–डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.08 16:37:09 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व [illegible]

(आदेश 20, रूल 6–7, [illegible])

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रहलाद आदि

बनाम

केशरमल आदि

मुकदमा नम्बर– 31/2020

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक– 04.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कार्ड रूबरू मिथलेश कुमार, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री गणपत लाल, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री महेन्द्र जाखड़, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ग्राम पुरा छोटी तहसील धोद जिला सीकर में आवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 431 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा सं. 446 रकबा 2.22 हैक्टेयर, खसरा सं. 460 रकबा 1.36 हैक्टेयर, खसरा सं. 461 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा सं. 484 रकबा 2.44 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 9.08 हैक्टेयर का वादीगण सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 – 1/4 हिस्से का प्रत्येक को संयुक्त खातेदारी में बराबर–बराबर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे। रहन यदि है तो यथावत रहेगा। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय–डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हो।

यह आज तारीख 04.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.04.08 16:37:09 IST
Reason: SelfAttested